उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या I/21168/2025 -काविनी एवं वे०प्र०-29 Comp.No.:12049 दिनांक 14-08-2025

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न 213वीं बैठक के मद सं0 213(34) में लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कम्पनी सचिव, विधि अधिकारी, उपविधि अधिकारी, कार्मिक अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इत्यादि पदों के सापेक्ष संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों को निम्नलिखित अवकाश की अनुमन्यता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	अवकाशों का विवरण	कारपोरेशन में नियमित पद पर संविदा के माध्यम से नियुक्त कार्मिक हेतु अनुमोदित अवकाश अवधि
1.	आकस्मिक अवकाश	08 दिन वार्षिक
2.	उपार्जित अवकाश	प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन। (अधिकतम 10 दिन के उपार्जित अवकाश को अगले कैलेण्डर वर्ष में ले जाने की सुविधा होगी, जिसमें से अधिकतम 30 दिन का संचय होगा, जिसका नकदीकरण अनुबन्ध अवधि के अन्त में किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नकदीकरण के लिये उपार्जित अवकाश का अधिकतम संचय 30 दिन है। भले ही अनुबन्ध 03 वर्ष के कार्यकाल से आगे बढा दिया गया हो, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण केवल प्रारम्भिक कार्यावधि या विस्तारित अवधि, जो भी बाद में हो, के पूरा होने के बाद किया जायेगा।)
3.	चिकित्सा अवकाश	चिकित्सीय आधार पर लिया गया कोई भी अवकाश उपार्जित अवकाश का ही भाग माना जायेगा।
4.	प्रसूति अवकाश	30 दिन (गर्भावस्था में 30 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा, लेकिन कार्यभार ग्रहण करने के 06 माह के बाद ही स्वीकृत किया जा सकेगा, जो 03 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 02 गर्भधारण हेतु प्रदान किया जा सकेगा। दूसरी बार मातृत्व अवकाश तभी दिया जायेगा, जब पिछली मातृत्व अवकाश की समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो। यदि महिला कार्मिक 30 दिनों के मातृत्व

	अवकाश लेने के बाद 06 माह के भीतर पद से त्याग-पत्र दे दे या विभाग द्वारा सेवा समाप्त कर दी जाये तो उसे मातृत्व अवकाश हेतु भुगतान किये गये वेतन को वापस करना होगा।)

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्याः I/21168/2025 -(I)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस.एल.डी.सी. परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
12. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजिनी नगर, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न 213(34)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

14/8/25

(अंजू)

अनु सचिव (का.वि.नी. एवं विनियम)